ग्राम पंचायत सिमस, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावना:—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सिमस, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सलोचना देवी	01.04.13 से 22.1.16
2	श्रीमती तारावती	23.01.16 से 31.03.16

सचिव:—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रवीण कुमार	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत सिमस के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	अनुदान को रोकड़ बही में दर्ज न करना	0.32
2	9	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.62
3	10	अनुदान राशि का उपयोग न करना	8.44
4	11	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय करना	1.26

5	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	0.76
6	14	निर्माण कार्य फार्म पोन्ड वार्ड नं0 2 घराणू में राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.57
7	16	मजदूरी के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.40
8	17	भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.21

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत सिमस, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.11.2016 से 24.11.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2013–14	07/2013	03/2014
2014–15	03/2015	11/2014
2015–16	04/2015	06/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत सिमस, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 164/2016 दिनांक 24.11.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिमस से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत सिमस द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं प्रदत्त सूचनाओं अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

(क) स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)			व्यय (₹)		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग (₹)	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष (₹)
2013—14	672529.90	56543	829748	1558820.90	11824	743032	803964.90
2014—15	803964.90	30784	464114	1298882.90	9147	431783	857932.90
2015—16	857932.90	56153	767722	1681807.90	23392	440800	1217615.90

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष

रोकड़ अनुसार ₹1217615.90

बचत खाता अनुसार

(i)	31510100018	₹730417.00	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लड़भड़ोल
(ii)	31510100009	₹521053.90	—यथोपरि—
		₹1251470.90	
	हस्तगत राशि	**₹450.00**	

(ख) मनरेगा

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013—14	(—)91663	882483	790820	785045	5775
2014—15	5775	562619	568394	568254	140
2015—16	140	394182	394322	394182	140

दिनांक 31.03.2016 को अन्तिम शेष

रोकड़ बही अनुसार ₹140

बचत खाता अनुसार ₹237

खाता संख्या 31510105487 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल

(ग) वाटर शैड

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013—14	223014	12111	235125	196672	38453
2014—15	38453	22121	60574	25072	35502
2015—16	35502	1244	36746	13667	23079

दिनांक 31.03.2016 को अन्तिम शेष

रोकड़ बही अनुसार ₹23079

बचत खाता अनुसार ₹23079

खाता संख्या 31510109158 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल

नोटः— वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण विवरण बैंक समाधान विवरणी सहित **"परिशिष्ट—1 से 3"** में दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः—

ग्राम पंचायत सिमस की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अवधि के रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान कर दिया गया है जोकि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 1 से 3 में दिया गया है तथापि पंचायत द्वारा इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये भविष्य में रोकड़ बही एवं बैंक खातों का मिलान सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बहियों का रख—रखाव नियमानुसार न करनाः—

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है एवं न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोंकड़ वही में ही दर्ज कर उसका शेष शून्य कर दिया जा रहा है, जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त अन्तिम शेष को आगामी कार्यदिवस/पृष्ठ/माह के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है, किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाये जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने/बनाने हेतु दिनांक 01.04.2013 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़ बही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2013–14 को अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत की अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित करते हुये भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹0.32 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करने के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत सिमस की स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही की जाँच/अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक निम्न वर्णित अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, जबकि इनकी जमा की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित बचत खाते में थी:–

क्र0सं0	दिनांक	राशि	खाता संख्या
1	04.02.2014	2700	31510100018
2	28.12.2015	29250	31510100009
	योग	**31950**	

पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज न करना अनियमित व आपत्तिजनक है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये इन अनुदान राशियों को अविलम्ब रोकड़ बही में दर्ज किया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.62 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.16 तक पंचायत के राजस्व ₹0.62 लाख की वसूली शेष थीः–

1 गृहकरः–

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष (₹)
2013–14	23460	9100	32560	23220	9340
2014–15	9340	9260	18600	–	18600
2015–16	18600	9360	27960	6320	21640

2 मोबाईल टावरः–

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष (₹)
2013–14	25000	5000	30000	–	30000
2014–15	30000	5000	35000	–	35000
2015–16	35000	5000	40000	–	40000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान ₹8.44 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹843529 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 प्राप्त अनुदान से ₹1.26 लाख का अधिक व्यय करनाः–

ग्राम पंचायत सिमस द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख एवं प्रदत्त सूचना **"परिशिष्ट–4"** के अनुसार पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक ₹125696 प्राप्त अनुदान राशियों से अधिक व्यय कर दिये गये थे। नियमानुसार प्राप्त अनुदान में से व्यय को अनुदान राशि तक सीमित किया जाना अपेक्षित था एवं अनुदान पत्र की शर्त अनुसार व्यय उससे अधिक नहीं किया जा सकता है। अतः पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से सम्बन्धित मद में किया गया व्यय अनियमित व आपत्तिजनक है, जिस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये प्राप्त अनुदान राशियों से अधिक किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाकर इसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये की राशि का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों में किया गया है, किन्तु इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई यह राशि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय की गई इन समस्त राशियों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जाए ताकि इन समस्त व्ययों की तदानुसार जाँच की जा सके।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹0.76 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय

वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹76006 के स्टॉक/स्टोर का क्रय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोंर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0सं0	दिनांक	फर्म का विवरण	बिल सं0	दिनांक	राशि	क्रय सामान का विवरण
1	मनरेगा	81	20.3.14	मै0 परस राम अच्छरू राम लड़भड़ोल	4799	24.6.13	6500	सरिया 139 कि0ग्रा0
2	मनरेगा	82	20.3.14	—यथोपरि—	5003	09.7.13	6000	सरिया 131 कि0ग्रा0
3	वाटरशैड	06	6.3.14	मै0 राज फ्रूट प्लांट नर्सरी	069	शून्य	3506	पौधे 167 नं0
4	वाटरशैड	07	15.3.14	मै0 ठाकुर हार्डवेयर स्टोर लड़भड़ोल	1936	शून्य	60000	कट स्टोन 500 नं0
						योग	**76006**	

14 फार्म पोन्ड वार्ड नं0 2 घराणू के निर्माण कार्य में ₹0.57 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजनः—

ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशैड के अन्तर्गत फार्म पोन्ड वार्ड नं0 2 घराणू का निर्माण करवाया गया था एवं जिस हेतु निम्नलिखित सामग्री का क्रय किया गया थाः—

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	फर्म का विवरण	राशि (₹)	क्रय सामान का विवरण
1	07	15.3.14	मै0 ठाकुर हार्डवेयर स्टोर, लड़भड़ोल बिल 1936/शून्य	60000	5000 नं0 पत्थर @12 का क्रय
2	02	19.7.14	—	25000	पत्थर ढुलान @ 5 प्रति पत्थर
			योग	**85000**	

उक्त भुगतान बिलों/वाउचरों के सम्बन्ध में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

1 पंचायत द्वारा उक्त कार्य हेतु 5000 नं0 पत्थरों का क्रय किया गया था किन्तु इसकी कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिका 4952 पृष्ठ 90 से 91 की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु "R.R Masonery 11.77m3 ही की गई थी एवं इस प्रकार इस मात्रा हेतु पत्थर प्रति घन मीटर की दर से केवल 2354 पत्थरों की ही खपत की जानी अपेक्षित थी, जबकि पंचायत के स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 26 अनुसार 5000 नं0 पत्थरों की खपत दर्शाई गई है। इस प्रकार किये गये कार्य की प्रमात्रा को ध्यान में रखते हुये पंचायत द्वारा 2646 पत्थरों का अधिक क्रय एवं खपत दर्शा कर ₹31752 का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। क्योंकि कट स्टोर (cut stone) केवल मात्र R.R. Masonery में ही लगाया जाना था। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अधिक क्रय एवं खपत दर्शाये गये पत्थरों की ₹31752 की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा उक्त पत्थरों का क्रय निविदायें आमन्त्रित किये बिना किया गया है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है, जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इसकी कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर इस क्रय को नियमित करवाया जाए।

(ग) पंचायत द्वारा उक्त कार्य हेतु इन पत्थरों की ढुलाई/ढुलान का भुगतान ₹25000 अर्थात ₹5 प्रति पत्थर की दर से वाउचर संख्या 02 दिनांक 19.7.2014 द्वारा दर्शाया गया है किन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इस राशि की वसूली भी सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए व कृत काय्रवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान की गई ₹0.02 लाख की वसूली करने बारेः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में वाउचर संख्या 56 दिनांक 29.11.2014 एवं मस्ट्रोल संख्या 1997 अवधि 01.11.2014 से 15.11.2014 द्वारा मजदूरी के रूप में ₹11858 का भुगतान किया गया था। जाँच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल के क्रम संख्या 4

(श्रीमती कृष्णा देवी) की उपस्थिति दिनांक 07.11.14 एवं 08.11.14 को अधिलेखन कर के लगाई गई थी एवं मस्ट्रोल में A के उपर P लिख कर उन्हें उपस्थित दर्शाकर इन दो दिनों का भुगतान किया गया था, जोकि नियमानुसार नहीं है। अतः दोषी से उक्त दो दिनों की मजदूरी ₹308 (154X2) की वसूली सुनिश्चित करते हुये इसे पंचायत खाते में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में वाउचर संख्या 55 माह 06/2015 द्वारा ₹26406 मजदूरी का भुगतान किया गया है। जाँच में पाया गया कि उक्त वाउचर के मस्ट्रोल 526 अवधि 16.6.15 से 30.6.15 के क्रम संख्या 17 में छेड़छाड़ करने उपरान्त श्रीमती गीता देवी को दिनांक 24, 27, 28 एवं 29.6.16 (4 दिन) को अनुपस्थित से उपस्थित दर्शा कर ₹648 का अनियमित भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली दोषी से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जानी अपेक्षित है।

(ग) मनरेगा के अन्तर्गत ही वर्ष 2015–16 में वाउचर संख्या 11, माह 06/2015 द्वारा ₹24300 का भुगतान मस्ट्रोल संख्या 527 अवधि 16.6.2015 से 30.6.15 हेतु मजदूरी के रूप में किया गया है। जाँच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल के क्रम संख्या 1 (श्रीमती दीपा देवी) को दिनांक 20.6.15 को अधिलेखन कर अनुपस्थित से उपस्थित दर्शा कर उन्हें ₹162 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली दोषी से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत के वाटर शैड के वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि वाउचर संख्या 10 दिनांक 28.3.14, मस्ट्रोल संख्या 033143 अवधि 23.02.2014 से 28.02.2014 द्वारा ₹2013 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया है। इस कार्य की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिका 4952 पृष्ठ 86–87 की जाँच में पाया गया कि इस मस्ट्रोल के विरूद्ध कार्य प्रगति केवल ₹1322 ही बनती है एवं इस प्रकार मजदूरों को इससे अधिक राशि देय नहीं थी। अतः अधिक भुगतान की गई मजदूरी ₹691 (2013–1322) की वसूली दोषी व्यक्तियों से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 ₹0.40 लाख की मजदूरी के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ₹39744 का भुगतान मजदूरी के रूप में निम्नविवरणानुसार किया गया हैः—

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0सं0	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि	कार्य का नाम
1	मनरेगा	79	11.3.14	6374, 6375, 6376	19.02.14 से 28.02.14	16698	ड्रेन दर्जी
2	मनरेगा	—	3—14	6590, 6591, 6592	01.03.14 से 15.03.14	23046	बस्ती नाला
					योग	**39744**	

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा मजदूरी के रूप में किये गये उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित कार्य प्रगति की जाँच हेतु माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति एवं वास्तव में किये गये कार्य की प्रगति एवं वास्तव में किये गये कार्य हेतु इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं? की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इन वाउचरों द्वारा किये गये कार्य/भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए।

17 ₹0.21 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशैड की रोकड़ बही में वर्ष 2013—14 में वाउचर संख्या 1 दिनांक 22.6.2013 द्वारा ₹21050 का भुगतान पंचम ग्रुप स्वयं सहायता समूह को चैक संख्या 5186233 द्वारा दर्शाया गया है, किन्तु वर्तमान अंकेक्षण में इस भुगतान से सम्बन्धित भुगतान वाउचर एवं अन्य वाँछित अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में उक्त भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त स्वयं सहायता समूह द्वारा यह राशि पंचायत को दिनांक 24.12.2014 को वापस की गई दर्शाई गई है।

अतः इस भुगतान से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

18 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

19 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

21 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में सुधार के अतिरिक्त बकाया पंचायत राजस्व की वसूली हेतु विशेष पग उठाये जाने अपेक्षित है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 16/2017—खण्ड—1— 2716—2719 दिनाँकः 17.05.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत सिमस, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046